न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम० 05 / 19

धारा–107 द०प्र०सं०

रोमला कुमारी ………………..प्रथम पक्ष

बनाम

विरेन्द्र महतो वगैरह………………..द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश
07/11/2019	प्रस्तुत वाद थाना प्रभारी, सोनाहातु के अप्राथमिकी संख्या–04 / 19 दिनांक–31 / 01 / 2019 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द0प्र0सं0 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। सोनाहातु थाना काण्ड संख्या–003 / 19 दिनांक–08 / 01 / 19 धारा 323 / 341 / 354 / 376 / 34 भा०द०वि० को लेकर उभय पक्ष में विवाद है।

प्रस्तुत वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया है कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक–20 / 10 / 2018 ई० को प्रथम पक्ष की रोमला कुमारी घास काटकर घर आयी और बरामदा में बैठी थी कि द्वितीय पक्ष के विरेन्द्र नाथ महतो गली से आया। जिससे वादिनी अपने चचेरा भाई बसन्त लाल महतो के घर की ओर आयी। तब विरेन्द्र नाथ महतो भी पिछे से गया और वादिनी प्रथम पक्ष को पकड़ लिया। यह कि सोनाहातु थाना काण्ड संख्या–03 / 19 दिनांक–08 / 01 / 19 धारा 323 / 341 / 354 / 376 / 34 भा०द०वि० दर्ज किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा वर्तमान समय में भी गाली गलौज करते हुए केस मुकदमा उठा लेने की धमकी देते रहता है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित नहीं किया गया है।

प्रथम पक्ष गवाह 1:– धनेश्वर महतो, पिता–स्व० धनंजय महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं दोनों पक्ष को जानता हूँ। घटना दशहरा के समय की है। रोमला कुमारी को घर से खींच कर ले जा रहा था। छेड़खानी भी किया था। इस घटना के पूर्व में भी घटना घटित हुई थी। पूर्व वाली घटना 2–3 साल पहले घटित हुई थी। इसमें विरेन्द्र महतो द्वारा रोमला कुमारी को माँग में सिंदूर दिया गया था। उस समय में विरेन्द्र महतो द्वारा रोमला कुमारी को खींचकर ले जा रहा था। दोनों के मध्य अभी भी लड़ाई–झगड़ा चल रहा है। घटना के वक्त मार–पीट नहीं हुई है, परन्तु छेड़खानी हुई है।

प्रथम पक्ष गवाह 2:– रेवती देवी, पति–स्व० जगदीश महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं दोनों पक्ष को जानती हूँ। प्रथम पक्ष खेत से आयी और आराम कर रहे थी, उस समय विरेन्द्र महतो आया और छेड़–छाड़ कर प्रथम पक्ष को ले गया। इस संबंध में राँची में भी केस चल रहा है। इसके पहले भी घटना घटी थी। यह घटना 15 / 05 / 2015 को घटी थी। यह दोपहर 12 एवं 1 बजे के बीच की है। इस घटना में माँग में सिन्दूर भरकर धर–पकड़ कर ले जा रहा था। राँची में छेड़–छाड़ का केस चल रहा है। मैं रोमला कुमारी की बड़ी बहन हूँ। घटना के बाद भी लड़ाई–झगड़ा हुआ है। दिन तारीख याद नहीं है।

प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:– रोमला कुमारी, पिता–शोभाराम महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण मे बयान दिया है कि इस वाद में मैं प्रथम पक्ष हूँ। 20 / 10 / 2018 को 12 बजे दिन के आस–पास की घटना है। मैं काम करके आकर आराम कर रही थी, तब विरेन्द्र आकर टाँग कर ले जा रहा था। छेड़–छाड करके ले जा रहा था। घटना के अगले दिन केस किए सोनाहातु थाना में। राँची में भी केस चल रहा है। इसके पहले भी घटना घटी है। घटना की तारीख 15 / 05 / 2015 को घटी थी। समय 10 बजे के आस–पास दिन में है। मैं आँगनबाड़ी केन्द्र के समीप खड़ी थी। पिछे तरफ से विरेन्द्र कु० महतो आया। हाथ पकड़कर खींचकर माँग में सिन्दूर लगा दिया। तब मैं चिल्लाई तो वह भाग गया। विरेन्द्र महतो शादी–शुदा है, जो रिस्ता में मेरा भाई है। केस के दौरान भी दो बार झगड़ा किया। 10 / 10 / 2019 के झगड़ा जो हुआ उसका सोनाहातु थाना में आवेदन दिये। विरेन्द्र नाथ महतो मेरे दादा के घर में घुसकर मेरा बाह पकड़कर जबरजस्ती बलात्कार करने लगा सही बात है। 2015 में घटना का भी केस चल रहा है। मैं विरेन्द्र महतो

तिथि	आदेश
	की दादी जो 85 वर्ष की है। 10/10/2019 को नहीं पिटी हूँ।

द्वतीय पक्ष गवाह संख्या–1:– पुदीना देवी, पति–स्व0 विष्टु महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि क्या चीज के लिए केस किया है मैं नहीं जानती, विरेन महतो को मारापीटा था। पीटते–पीटते घर तक लाया और खुँटा में बांध दिया। विरेन्द्र महतो के कहने पर गवाही देने आयी हूँ। कोर्ट आने का किराया विरेन्द्र महतो दिया है, खाना खर्चा भी वहीं दिया है। विरेन्द्र महतो द्वारा रोमिला कुमारी को टांगकर ले गया था, मैं नहीं देखी हूँ।

द्वितीय पक्ष गवाह संख्या–2:– लगनी देवी, पति– धिरेन्द्र महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि इसके पूर्व किसी प्रकार की घटना की जानकारी नहीं है। वर्तमान में भी झगड़ा होते रहता है। द्वितीय पक्ष का सावना महतो मेरा भैया है और विरेन्द्र महतो का भतीजा है। किस कारण से रोमला, चोमिला आदि द्वारा पीटा गया मैं नहीं जानती। पुलिस पकड़ नहीं पायी, भाग गया।

द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह संख्या–3:– सावना महतो पिता–स्व० बेनु महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं द्वितीय पक्ष हूँ। सावना महतो, करमी देवी, विरेन्द्र महतो, होलिका देवी पर केस किया है। क्यों केस किया है नहीं बता सकते है। गाँव मुसीडीह के अंतिम छोर से नास्ता करके आ रहा था। तब प्रथम पक्ष टेम्पू से उतरने के बाद मंदा देवी, कोकी देवी, रोमिला कुमारी, चोमिला कुमारी, बती देवी, पीटने लगे। मैं विरेन्द्र महतो का पिता हूँ। पीटने के समय मैं भी नहीं था और मेरी बहू भी नहीं थी। सोनाहातु थाना द्वारा विरेन्द्र महतो वगैरह के विरूद्ध 323/341/304/376/34 GR केस हुआ है। विरेन्द्र कुमार द्वारा प्रथम पक्ष को गाली गलौज या गंदा गाली दिया गया है। सब झूठ है।

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि रोमला कुमारी और विरेन्द्र महतो वगैरह के बीच गाली–गलौज हुआ है, शांतिभंग हुई है, भविष्य में भी शांतिभंग होने की सम्भावना है। वर्तमान में द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सोनाहातु थाना काण्ड संख्या–03/19 दिनांक–08/01/19 धारा– 323/341/304/376/34 भा०द०वि० के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अतः द्वितीय पक्ष विरेन्द्र महतो वगैरह को एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने उनसे 1,00,000/– (एक लाख) रूपये का बंधपत्र उसी राशि में दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने का आदेश दिया जाता है। वाद में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

8/11/2019

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

8/11/2019

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.12 15:21:37 +05:30
Location: 10.93.79.5